क्रमांक सं० दि०	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	टिप्पणियाँ स्वाक्षर
15.05.17	अभिलेख आज्ञाम आदेश हेतु उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख आवेदक श्री प्रदीप कुमार सिंह पिता - नन्दकिशोर सिंह ग्राम - मालिकौंव थाना - मालिकौंव जिला - गढ़वा द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मेरे केवाला द्वारा प्राप्त रैयती भूमि खाता नं० 96 प्लॉट नं० 228 रकबा - 0.57 डि० भूमि पर अवैध ढंग से शंकर राम पिता सीता राम सा० मेरखुआ मालिकौंव द्वारा मड़ई बनाकर भूमि मांग करना चाहते हैं। आवेदन पत्र के आलोक में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जाँचकर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा मालिकौंव कला के खाता नं० 96 प्लॉट 228 कुल रकबा 0.73 डि० भूमि सर्वे खतियान की रैयती भूमि है जिसकी खतियानी रैयत मुसन चमार पिता - भीखण चमार थे, मांग पंजी II के अवलोकन से पृष्ठ सं० 73/I पर अरबीन्द्र ब्रज बिहारी लाल को अरबीन्द्र श्याम बिहारी लाल पिता मधुसूदन लाल के नाम	P.N. 27/7/5/17 P.N. 28/7/5/17

क्रमांक ता० सहित	आदेश-पत्र	टिप्पणी

से कौन्सोलिडेशन केस क० 124/1964-65 के अनुसार कायम है तथा वर्ष 2010 में मांगधारी के पुत्र श्री कुमेश्वर प्रसाद सिन्हा वगैरह पिता स्व० भूजावेशरी सिन्हा को रकवी शेखर श्रीवास्तव पिता जगतनारायण प्रसाद सिन्हा सभी ग्राम-आवीरी तहले, मालिकॉन के द्वारा पंजीकृत केवाला संख्या 2238 दिनांक 30.03.2010 के द्वारा क्रेता (आवेदक) श्री प्रदीप कुमार सिंह के नाम खाता नं० 96 खेसरा० 228 रकवा- 0.57 ड० भूमि विक्रय कर दिया गया है। वर्तमान में आवेदक के नाम से उक्त भूमि का दा०खा० केस न० 44/2011-12 द्वारा नामान्तरण होकर भाग पंजी II के पृष्ठ सं० 190/7 पर कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रही है और प्रतिवेदन के आलोक में दोनों पक्ष की ओर दाखिल लिखित बयान एवं दोनों पक्ष की ओर से दाखिल कागजात का अवलोकन किया गया। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना गया।

विपक्षी के अनुसार इस वाद में वर्णित भूमि गत सर्वे खतियानी रैयत के वंशज हैं परन्तु

क्रमांक ता. हस्ताक्षर	आदेश फलक	टिप्पणी

भूमि की विवरण तथा हाल सर्वे के खंड पत्र से होता है जो कि अपर समाहर्ता, गढ़वा के विविध वाद सं० 21/06-07 में अंकित है। उक्त भूमि खाता नं० 96 प्लॉट नं० 228 रकबा 0.57 डि० भूमि आवेदक के विक्रेता को दाखिल होने का आधार जिन केवाला, दस्तावेजों को बनाया गया है उन सभी दस्तावेजों की वैधता की जाँच इस निम्न राजस्व न्यायालय से संभव नहीं है जिस कारण आवेदक के विक्रेता के नाम से काफी समय से चल रही जमाबन्दी को रद्द करना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी को इस वि० वाद की कार्रवाई के जरिए रद्द करना उचित नहीं होगा। साथ ही तत्कालीन अपर समाहर्ता पलामू के द्वारा वि० वाद सं० 143/84-85 तथा तत्कालीन अपर समाहर्ता गढ़वा के द्वारा विविध वाद सं० 21/06-07 में पारित आदेश के विरुद्ध कोई आदेश पारित करना इस निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। विपक्षीगण चाहे तो उक्त भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित/

ह० 15/5/13 — अंचल अधिकारी भवनाथपुर

ह० 15/5/13 — अंचल अधिकारी भवनाथपुर

D.11.1
98/21.5.13

आवेदक के विक्रेता के नाम से भंडा चलता है
तथा तत्कालीन अपर समाहर्ता पलामू डालटनगंज के
विविध वाद सं० 143/83-84 एवं तत्कालीन अपर
समाहर्ता, गढ़वा के विविध वाद सं० 21/2006-07 द्वारा
वाद की सुनवाई की गई है, जिसमें विपक्षी का आवेदन
पत्र अस्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक की ओर
से प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया। अवलोकन
से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विक्रेता के पिता
के नाम से उक्त भूमि का भंडा बी० ए० आर० केस नं०
124/64-65 के तहत लगान निर्धारित कर भंडा कायम
है। अनुमंडल पदा०, गढ़वा के न्यायालय में धारा
145 द० प्र० सं० के तहत विविध वाद सं० 880/86 P.N. 37/18/51
द्वारा आवेदक के विक्रेता के पक्ष में फैसला प्राप्त
हुआ है हाल सर्वे खतियान में इस भूमि का चांदा
पर्चा तथा खतियान भी नाम से तैयार किया गया है।
उक्त कागजातों की छाया प्रति दाखिल की गई है तथा P.N. 38/23/5/1
उक्त खाता की भूमि पर आवेदक के विक्रेता का
कब्जा की पुष्टि उनके नाम से किए गए लगान
निर्धारण लगभग 48 वर्षों से निर्गत हो रही लगान
रसीद. हदबन्दी वाद सं० 102/73-74 में धारित